

**छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी नगर पालिक निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र में
एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्कालर डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से प्रचार-प्रसार के लिए योग्य
फर्मों का इम्पैनलमेंट हेतु रुचि की अभिव्यक्ति संबंधी नियम एवं शर्तें**

1. छत्तीसगढ़ संवाद फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन के विभिन्न विभागों, निगम-मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं की जनकल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य जानकारियों, उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न माध्यमों से कार्य किया जाता है।
2. निविदा में भाग लेने वाले फर्मों के पास शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य संस्थान के एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्कालर डिस्प्ले बोर्ड में प्रचार-प्रसार संबंधी कार्य का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति मूल निविदा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। परन्तु शासकीय संस्थान से विज्ञापन प्रदर्शन हेतु एकल अनुबंध/एकल स्वामित्व संबंधी अधिकार पत्र प्राप्त एजेन्सियों के लिये संस्थान के साथ अनुबंध पत्र/एकल स्वामित्व संबंधी अधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
3. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा के माध्यम से दर निर्धारण कर फर्मों का इम्पैनलमेंट किया गया है। नगर पालिक निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिले व योजनाओं/उपलब्धियों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पूर्व में इम्पैनलमेंट फर्मों के अतिरिक्त इस कार्य में रुचि रखने वाले अन्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।
4. फर्मों को लिफाफे पर 'टेक्निकल बिड' लिखकर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा:—
 - 4.1 फर्म के पैन कार्ड की प्रति। (स्वप्रमाणित)
 - 4.2 Assessment Year 2020-2021 के आयकर रिटर्न की प्रति। (स्वप्रमाणित)
 - 4.3 माह जनवरी-2022 की GSTR-3B की प्रति।
 - 4.4 प्रस्ताव प्रपत्र शुल्क (वापसी योग्य नहीं) रूपए 1180/- (रु. एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) की छत्तीसगढ़ संवाद के नाम रायपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक की मूल प्रति।
 - 4.5 नगर निगम, नगर पालिक एवं नगर पंचायत अथवा संबंधित स्थानीय निकाय से जारी किए गए (संबंधित संस्थान से प्राप्त रसीद की प्रति) स्वयं की स्वामित्व वाले एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्कालर डिस्प्ले बोर्ड की सूची।
 - 4.6 एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्कालर डिस्प्ले बोर्ड का फोटो एल्बम— एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्कालर डिस्प्ले बोर्ड की साइज एवं लोकेशन मैप के पूर्ण पता का उल्लेख करते हुए टेक्निकल बिड लिफाफे में शामिल करना होगा।
 - 4.7 छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का जीएसटी पंजीयन की प्रति।
 - 4.8 वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रचार-प्रसार कार्य संबंधी वार्षिक टर्नओवर औसतन राशि रु. 1लाख होने का चार्टर्ड एकाउंटेन्ट से सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्र में प्रचार-प्रसार कार्य के टर्न ओवर का उल्लेख होना अनिवार्य है।
5. एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्कालर डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु धन-जन-थर्ड पार्टी सुरक्षा का दायित्व संबंधित एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्कालर डिस्प्ले बोर्ड एजेंसी/फर्म का

होगा। अतः इस संबंध में संबंधित एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्कालर डिस्प्ले बोर्ड फर्म को पर्याप्त सुरक्षा एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद का इस संबंध में किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

6. एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्कालर डिस्प्ले बोर्ड हेतु निर्धारित अवधि व वांछित आकार-प्रकार में कमी पाए जाने पर/कार्यादेश के अनुरूप कार्य नहीं होने पर तदनुसार देयक में कटौती की जाएगी।
7. इम्पैनल्ड एजेंसी/फर्मों को कार्य के तत्कालिकता, आवश्यकता तथा बेहतर लोकेशन एवं बेहतर Visibility के आधार पर कार्य आबंटन का पूर्ण अधिकार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
8. एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्कालर डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शन की निर्धारित अवधि में रखरखाव और सुरक्षा के साथ-साथ आवश्यकता होने पर विज्ञापन बदलने का कार्य एजेंसी का होगा। विज्ञापन प्रदर्शन बदलने एवं अन्य कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा।
9. फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व की एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्कालर डिस्प्ले बोर्ड का इन्वाइस संलग्न करना होगा। यदि स्वयं के स्वामित्व का नहीं है तो स्वामित्व धारी के साथ कम से कम 3 वर्ष का अनुबंध की प्रति संलग्न करना होगा।
10. संबंधित विभागों से छत्तीसगढ़ संवाद को देयक का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित एजेंसी के देयकों का भुगतान छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा किया जाएगा, कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
11. निर्धारित प्रारूप में 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में स्वप्रमाणित यह प्रमाण-पत्र दिया जाना होगा कि संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेख पूर्णतः सही हैं, भविष्य में कोई प्रमाण-पत्र गलत पाए जाने पर उसे छत्तीसगढ़ संवाद की सूचीबद्धता से अगले तीन वर्षों तक के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा। इस प्रमाण-पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना होगा कि संस्था किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं में ब्लेक लिस्टेड नहीं हैं।
12. इम्पैनलमेंट की अवधि पूर्व निविदा के समाप्ति तक के लिए मान्य होगी। समय अवधि में वृद्धि अथवा कमी करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा।
13. छत्तीसगढ़ राज्य के नगर पालिक निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र या संबंधित शासकीय संस्था में एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्कालर डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से प्रचार-प्रसार कार्य संबंधी पंजीयन दस्तावेज संलग्न करना होगा। एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्कालर डिस्प्ले बोर्ड का वीडियो कन्टेंट के CD/DVD/Pendrive साथ में संलग्न करना होगा।
14. निविदाकार को अमानत राशि रु. 50,000/- जमा करना होगा। अमानत राशि धरोहर राशि के रूप में रखी जावेगी और सेवा अवधि संतोषप्रद ढंग से समाप्ति के बाद वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
15. शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य संस्थान हेतु एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्कालर डिस्प्ले बोर्ड में प्रचार-प्रसार संबंधी कार्य का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कोई भी शासकीय संस्थान के साथ एकल अनुबंध होने पर अनुबंध पत्र/एकल स्वामित्व संबंधी अधिकार पत्र की प्रतियां जमा करना होगा। इस स्थिति में एकल अधिकार प्राप्त संस्थानों का अनुभव पत्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु शेष फर्मों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
16. निविदाकार को छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा समस्त प्रचलित एवं समय समय पर जारी नियमों, निर्देशों, आदेशों और अधिनियमों का पूर्ण पालन करना होगा।

17. एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्कालर डिस्प्ले बोर्ड हेतु छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा अनुमोदित दर निम्नानुसार है:-

(अ) नगर निगम क्षेत्र/अन्य शासकीय संस्थाओं जैसे- रेल्वे क्षेत्र

क्र.	विवरण	प्रसारण अवधि	अनुमोदित दर
1	LED Scollar display board (फर्म अपने स्वयं के स्वामित्व की एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्कालर डिस्प्ले बोर्ड की साईज एवं डिस्प्ले स्थल का उल्लेख करें।) प्रसारण- प्रति इमेज का प्रति बार प्रसारण का समय 3 मिनट के लिए होगा। तदनुसार प्रति इमेज प्रति बोर्ड का दर Size – 6' X 4', Board Specification- Aluuminium body with acrelc sheet Media- Translight Film	1 दिन	@2,500 /-
		3 दिन	@4,100 /-
		7 दिन	@7,000 /-
		1 माह	@19,000 /-
		6 माह	@95,000 /-
2	LED Scollar display board (फर्म अपने स्वयं के स्वामित्व की एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्कालर डिस्प्ले बोर्ड की साईज एवं डिस्प्ले स्थल का उल्लेख करें।) प्रसारण- प्रति इमेज का प्रति बार प्रसारण का समय 3 मिनट के लिए होगा। तदनुसार प्रति इमेज प्रति बोर्ड का दर Size – 12' X 4' Board Specification- Aluuminium body with acrelc sheet Media- Translight Film	1 दिन	@5,500/-
		3 दिन	@10,000/-
		7 दिन	@18,000 /
		1 माह	@51,000 /-
		6 माह	@2,65,000 /
3	LED Scollar display board हेतु Translight Film पर मुद्रण हेतु प्रति वर्ग फीट का दर	प्रति वर्ग फीट	@80 /- sqft

(ब) नगर निगम क्षेत्र/अन्य शासकीय संस्थाओं जैसे- एयरपोर्ट क्षेत्र

क्र.	विवरण	प्रसारण अवधि	अनुमोदित दर
1	LED Scollar display board (फर्म अपने स्वयं के स्वामित्व की एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्कालर डिस्प्ले बोर्ड की साईज एवं डिस्प्ले स्थल का उल्लेख करें।) प्रसारण- प्रति इमेज का प्रति बार प्रसारण का समय 3 मिनट के लिए होगा। तदनुसार प्रति इमेज प्रति बोर्ड का दर Size – 12' X 4' Board Specification- Aluuminium body with acrelc sheet Media- Translight Film	1 दिन	@15,000 /-
		3 दिन	@ 25,000/-
		7 दिन	@ 45,000/-
		1 माह	@ 1,10,000/-
		6 माह	@6,00,000/-
3	LED Scollar display board हेतु Translight Film पर मुद्रण हेतु प्रति वर्ग फीट का दर	प्रति वर्ग फीट	@80 /- sqft

उपरोक्त दरों के अलावा जीएसटी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का चार्ज नहीं किया जाएगा।

18. इम्पैनल्ड फर्मों के त्रुटि, लापरवाही या अन्य किसी कारण से छत्तीसगढ़ संवाद/जनसंपर्क संचालनालय/शासन के किसी प्रकार की क्षति अथवा प्रतिष्ठा धूमिल होने पर संबंधित फर्म को एक वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जा सकेगा एवं पेनाल्टी के रूप में निश्चित राशि देयक

का अधिकतम 25 प्रतिशत तक कटौती का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। पेनाल्टी राशि का समायोजन फर्म द्वारा जमा अमानत राशि से किया जा सकेगा।

19. **आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता)** : किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर— प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।
20. किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

(रु. 50/- के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ-पत्र

मैं—संस्था प्रमुख निवासी—छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी रुचि की अभिव्यक्ति हेतु प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। हमारे फर्म द्वारा वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं।

यह कि हमारी संस्था—किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग/निगम/मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान —————

दिनांक —————

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर